बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–40/2024(स्वा0)............................/ पटना, दिनांकः–....................

सिविल सर्जन, आरा के पत्रांक–1407 दिनाक–16.05.2024 द्वारा डा0 रूपम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, आरा, भोजपुर के विरूद्ध दिनांक–09.11.2021 से 09.10.2022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय ज्ञापन सं0–1350(9) दिनाक–26.12.2024 द्वारा डा0 रूपम के विरूद्ध दिनाक–09.11.2021 से 09.10.2022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में ज्ञापन सहित आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी।

3. डा0 रूपम द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे दिनांक–05.10.2021 से पीठ मे असहनीय दर्द का ईलाज करवा रही थी। कालखण्ड मे कोरोना से संक्रमित होने के कारण उनके माता–पिता जी का निधन हो गया। शारीरिक एवं पारिवारिक स्थिति सामान्य होने के उपरान्त डा0 रूपम द्वारा दिनांक–10.10.2022 को सिविल सर्जन, आरा के समक्ष योगदान समर्पित किया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 रूपम के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं प्राप्त प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय अधिसूचना सं0–1475(2) दिनांक–01.11.2021 द्वारा डा0 रूपम, चिकित्सा पदाधिकारी को अनुमण्डलीय अस्पताल, दानापुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर ब्लॉक, आरा, भोजपुर मे स्थानान्तरित किया गया। उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, दानापुर द्वारा डा0 रूपम को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु दिनांक–08.11.2021 को विरमित किया गया। उनके द्वारा समर्पित अभिकथन में अंकित तथ्य को स्थापित करने हेतु चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। वे स्वयं की अस्वस्थता एवं विषम पारिवारिक परिस्थितियो के कारण दिनाक–09.11.2021 से 09.10.2022 तक नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं कर सकी। फलतः डा0 रूपम के अनुपस्थिति अवधि दिनांक–09.11.2021 से 09.10.2022 तक की अवधि को चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर असाधारण अवकाश के रूप मे विनियमित करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डा0 रूपम के विरूद्ध दिनाक–09.11.2021 से 09.10.2022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे विभागीय ज्ञापन सं0–1350(9) दिनाक–26.12.2024 द्वारा गठित आरोप को संचिकास्त करते हुए, अनुपस्थिति अवधि (दिनांक–09.11.2021 से 09.10.2022) को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने का निर्णय ससूचित किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–40/2024(स्वा0)...451(9)......**/पटना, दिनांकः–**...16.05.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, आरा, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमडल पटना/सिविल सर्जन, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

15/05/25

(15)

प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डा0 रूपम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/05/2025

सरकार के अवर सचिव।